रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 558] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 624(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, 'स्वाधार गृह स्कीम' (जिसे इसमें इसके पश्चात **स्कीम** कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसका लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सांस्थानिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें और यह स्कीम 'महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण' नामक केंद्रीय प्रायोजित 'अंब्रेला स्कीम' की उप स्कीम है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात **कार्यान्वयन अभिकरण** कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है; और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में स्वाधार गृहों के कर्मचारीवृंद और वैयक्तिक रूप से महिला फायदाग्राही (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) भी सम्मिलित हैं;

और इस स्कीम के अधीन स्वाधार गृहों के संचालन हेतु प्रशासन और प्रबंध के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंद के वेतन के संदाय के लिए; आहार, परिधान, औषधियों, जेब खर्च, मनोविनोद क्रियाकलापों आदि जैसी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करने के लिए; व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए फीस की प्रतिपूर्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है); के लिए भी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान सहायता का निर्मोचन किया जाता है; जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित किया जाता है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के फायदाग्राही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह संख्याक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने वाले हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा स्वाधार गृह का ऐसा कोई फायदाग्राही जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्रों पर भी जा सकेंगे ।

परंतु ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़:

(i) बैंक फोटो पासबुक ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड ; या (iii) राशन कार्ड ; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट ; या (vi) चालन अनुज्ञप्ति ; या (vii) पैन कार्ड ; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या (ix) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड ; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान कार्ड ; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ;

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारसाधक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला और बाल विकास विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कीम के अधीन उन्हें स्थानीय मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 30 सितम्बर, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के महिला तथा बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियों से उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे कार्यान्वयन अभिकरणों को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें ।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी ।

[सं. एस डब्ल्यू-57/55/2016-स्वाधार]

नंदिता मिश्रा, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 624(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the **Swadhar Greh Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme), which targets the women victims of unfortunate circumstances who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity and the Scheme is a Sub-Scheme of Centrally Sponsored Umbrella Scheme called "Protection and Empowerment of Women", which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through Non-Government Organizations and Voluntary Organizations (hereinafter referred to as the **implementing agencies**) ; and the beneficiaries under the Scheme include staff of the Swadhar Grehs and the individual women beneficiaries (hereinafter referred to as **beneficiaries**);

And, whereas, under the Scheme grant-in-aid is released to the State Governments and Union territory Administrations for payment towards salary of the staff of the implementing agencies for administration and management to run the Swadhar Grehs; and providing facilities to the individual beneficiaries such as food, clothing, medicines, pocket money, recreational activities, etc. and also reimbursement of fees for conducting vocational training (hereinafter referred to as **benefit**); which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The individual beneficiary of the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30.09.2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at UIDAI website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Government or Union territory Administration has become or is in the process of becoming UIDAI Registrar for Aadhaar enrolment and is organizing special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any beneficiary of Swadhar Greh, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with the existing registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kissan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by Government or any Public Sector Undertaking (PSU); or (x) Any other Photo identity Card issued by State Government or Union territory Administration.; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration;.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media and individual notices shall be given to the beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves

enrolled for Aadhaar by 30.09.2017 at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in clause (b) to the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. SW-57/55/2016-Swadhar]

NANDITA MISHRA, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.25 14:32:08 +05'30'